चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 23.07.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 23.07.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित वारंटी अभियुक्तो को विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री पंकज तिवारी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्याम देव सिंह व उनकी टीम द्वारा नाबालिक को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि थाना पहाड़ी अन्तर्गत ग्राम निवासी द्वारा थाना पहाड़ी में पर सूचना दी कि उनकी नाबालिक पुत्री को राजाराम राजपूत पुत्र स्व0 जगदीश राजपूत निवासी डिंगरीपुरवा मजरा ओरा थाना पहाड जनपद चित्रकूट बहला फुसलाकर ले गया एवं उलाहना देने पर घरवालों द्वारा गाली गलौज एवं मारने की धमकी दी गयी। इस सम्बन्ध में थाना पहाडी में दिनांक 01.07.2025 को मु0अ0सं0 136/25 धारा 137(2),351(2),352 बीएनएस पंजीकृत किया गया। दिनाँक 22.07.2025 को अभियुक्त राजाराम उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। पीडिता के बयान अन्तर्गत 180/183 बीएनएसएस व मेडिकल परीक्षण के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64 बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी गयी गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री श्याम देव सिंह

2.आरक्षी शुभम द्विवेदी

3.आरक्षी मृत्युजंय पाण्डेय

(4).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/ब्रिकी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में उ0नि0 अरविन्द कुमार सिंह व उनकी टीम द्वारा सुजीत पटेल पुत्र बृजभूषण निवासी नयापुरवा रुकमाबुजुर्ग थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 18 क्वार्टर अवैध देशी शराब मस्तीहू के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना बहिलपुरवा पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह

2.मुख्य आऱक्षी कल्लू खां

3. आरक्षी मोनू राय

(5).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

1.उ0नि0 श्री मुन्नीलाल थाना मऊ जनपद चित्रकूट मया हमराह आरक्षी राकेश, आरक्षी शुभम्र त्रिपाठी द्वारा मु0अ0स0 22/20 धारा 363,366,376 आईपीसी व 5 (अ)/2/6 पॉक्सो एक्ट के वारंटी सुलखान सिंह पुत्र रामशंकर निवासी पश्चिम पताई थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

2. उ0नि0 श्री रामअधार सिंह थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट मय हमराह आरक्षी राजीव सिंह, आऱक्षी,आरक्षी विनोद कुमार, आरक्षी चालक मनोज कुमार द्वारा मु0अ0स0 69 /17 धारा 138 (बी) विद्युत अधिनियम के वारंटी अभियुक्त ओमप्रकाश पाण्डेय पुत्र राजेन्द्र पाण्डेय निवासी हनुआ थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/ब्रिकी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री विनोद कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन में उ0नि0 रविकान्त राय व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त अमित तिवारी पुत्र रामनरेश तिवारी निवासी भौंरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 21 क्वार्टर अवैध देशी शराब मस्तीहू के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना रैपुरा पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

1.उ0नि0 श्री रविकान्त राय

2.आरक्षी आकाश सेन

3. आरक्षी राघवेन्द्र

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं पैरोकार आरक्षी रविप्रकाश यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शिनी द्वारा आज दिनाँक 23.07.2025 को थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 56/2012 धारा 279,427,338,304A भादवि0 के आरोपी अभियुक्त राकेश केशरवानी पुत्र शिवमोहन केशरवानी निवासी जवाहर नगर मनिकपुर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 01 वर्ष का कारावास व 7000 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(8). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेंद्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी वेदांत तथा मॉनिटरिंग सेल टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं शासकीय अधिवक्ता श्रीमती संगीता सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी न्यू कोर्ट श्री रवि कुमार दिवाकर द्वारा आज दिनांक 23.07.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 379/2015 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त रवि केवट पुत्र मंगी केवट निवासी शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट जनपद चित्रकूट को 05 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>संक्षिप्त विवरणः-</u>

दिनाँक 16.05.2015 को उ0नि0 श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव एवं उनकी टीम द्वारा अभियुक्त रवि केवट पुत्र मंगी केवट निवासी शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 05 किलो 500 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार कर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 379/2015 धारा 8/20 एनडीपीसीएस एक्ट पंजीकृत कराया गया था। विवेचना उ0नि0 श्री रविन्द्र नाथ राय को सुपुर्द की गयी विवेचक उपरोक्त द्वारा आरोपी के विरूद्ध दिनाँक 21.07.2015 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।

(9). श्रावण मास की अमावस्या मेला को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर आज राष्ट्रीय रामायण मेला परिसर में पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह एवं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री उमेश चन्द्र निगम की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह की उपस्थिति में मेला में तैनात मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों तथा पुलिस फोर्स के साथ ब्रीफिंग की गई।

पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह ने कहा कि श्रावण मास का मेला है मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ सकता है मेला में काफी श्रद्धालुओं के आने की संभावना है साथ ही साथ कावडियों का भी आवागमन चालू है। आज से ही सभी मजिस्ट्रेट पुलिस फोर्स अपने-अपने ड्यूटी स्थल पर तैनात रहकर मेला को सकुशल संपन्न कराए सभी पुलिस अधिकारी हैंडसेट लाउड हेलर अवश्य प्राप्त कर लें सभी पुलिस जोनल प्रभारी अपने क्षेत्र का भ्रमण करके जिन प्वांइट पर ड्यूटी लगी है वह समय से ड्यूटी करें अगर कोई ड्यूटी के प्रति शिथिलता बरते तो उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए रिपोर्ट प्रेषित करें। पूरे मेले को सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत बाह्य जनपद से भी पुलिस फोर्स को प्राप्त है पुरे पुलिस फोर्स को 05 जोन व 15 सेक्टर में बांटा गया है जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेट के अलावा 06 पुलिस क्षेत्राधिकारी, 11 थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, 23 निरीक्षक, 115 उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, 355 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल,78 महिला कांस्टेबल, 02 उपनिरीक्षक यातायात,42 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल यातायात,12 हेड कान्सटेबल/कान्सटेबल एलआईयू, 04 फायर टैंकर के साथ ही साथ पीएससी की एक प्लाटून फोर्स,एक प्लाटून फ्लड कम्पनी,एसडीआरएफ,बीडीएसटीम,चेकटीम,डॉग स्क्वायड की डियूटी लगाई गई है।

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री उमेश चन्द्र निगम ने कहां की श्रावण मास अमावस्या मेला 23 से 25 जुलाई 2025 तक चलेगा मेला को 05 जोन 15 सेक्टर में विभाजित किया गया है जहां पर जोनल/सेक्टर व पुलिस अधिकारियों के साथ पर्याप्त पुलिस बल मेला को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगाया गया है उन्होंने सभी जोनल तथा सेक्टर मजिस्ट्रेटों से कहा कि जिन स्थानों पर आपकी तैनाती है उन स्थानों पर पुलिस अधिकारियों के साथ रहकर मेला को सकुशल संपन्न कराए रामघाट पर जिन मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी की ड्यूटी लगी है वह सतर्क रहकर बरसात को देखते हुए मेला ड्यूटी करें श्रद्धालुओं को रोकें नहीं धीरे-धीरे उनको चलने दे खोया पाया केंद्र सुचारू रूप से संचालित रहे उन्होंने सभी जोनल तथा सेक्टर मजिस्ट्रेटों से यह भी कहा कि जब तक आप लोगों के प्रतिस्थानी ड्यूटी पर ना आ जाए तो अपना प्वांइट नहीं छोड़ेंगे।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी कार्यालय/लाइन्स श्री अरविन्द कुमार वर्मा, क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जय करन सिंह, क्षेत्राधिकारी यातायात श्री फहद अली, क्षेत्राधिकारी एलआईयू श्री अजेय कुमार शर्मा एवं मेला में लगे समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।